

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837 फ़ैक्स:- 0141-2742309, ईमेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अति.कार्य/अलेसे-II/430

दिनांक:- 15/09/25

आदेश

निम्नांकित अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कॉलम संख्या 6 में अंकित रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य भी अग्रिम आदेश/पदस्थापन होने तक सम्पादित करेंगे :-

क्र.स.	लिक न.	नाम कार्मिक (सर्वश्री)	वर्तमान विभाग/कार्यालय	अतिरिक्त कार्य का विभाग/कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	11684	चन्द्र प्रकाश साहू, सलेअ-II	कोषाधिकारी (शहर), कोष एवं लेखा विभाग, उदयपुर - 1288	सचिव उदयपुर विकास प्राधिकरण, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, उदयपुर	सलेअ-II के रिक्त पद का
2	23334	कमलेश पाटीदार, सलेअ-II	कोषाधिकारी (ग्रामीण) (31234), कोष एवं लेखा विभाग, उदयपुर	सचिव उदयपुर विकास प्राधिकरण, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, उदयपुर	सलेअ-II के रिक्त पद का
3	13040	चेना राम, सलेअ-II	उप निदेशक, उद्यान विभाग, नागौर - 23651	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग नागौर-20380	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के आदेश क्रमांक 3824 दिनांक 07.08.2025 अनुमोदित
4	9862	कुलदीप मीणा, सलेअ-II	तहसीलदार राजस्व विभाग (24450) सपोटरा (करौली)	बाल विकास परियोजना अधिकारी, (23089) समेकित बाल विकास सेवाएं, सपोटरा, (करौली)	उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, करौली के कार्यालय आदेश दिनांक 10.03. 25 के द्वारा श्री संजय मीना, सलेअ-II को दिये गये अतिरिक्त कार्यभार के स्थान पर
5	2893	मदन मोहन गुप्ता, सलेअ-II	जिला आबकारी अधिकारी आबकारी विभाग सवाई माधोपुर-2293	जिला आयुर्वेद अधिकारी, आयुर्वेद विभाग, सवाई माधोपुर - 10681	जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर के आदेश क्रमांक 3042 दिनांक 28. 08.2025 अनुमोदित

इन्हे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दोहरा कार्यभत्ता देय होगा।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त
शासन सचिव

दिनांक:- 15/09/25

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अति.कार्य/अलेसे-II/430

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. संबंधित कोषाधिकारी
3. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. श्री/श्रीमतीसहायक लेखाधिकारी ग्रेड II को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित कर विभाग को अवगत करावें।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)